राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 01103/2024

लाल चंद बैरवा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य विघुत प्रसारण निगम लिमिटेड जरिये प्रबंध निदेशक विधुत भवन कार्यालय, जन पथ, ज्योति नगर, जयपुर।
3. सचिव (प्रशासनिक), एवीवीएनएल, अजमेर।
4. बाबु लाल मीणा, एईएन, एईएन (ग्रामीण), सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.02.2024
आदेश की दिनांक : 26.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2 अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में निवेदन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में एईएन के पद पर एईएन कार्यालय (ग्रामीण), सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के खण्ड एईएन कार्यालय (ओ. एम.) पल्साना में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण दो साल से पहले ही अल्पावधि में किया गया है। अपीलार्थी को विभाग द्वारा एईएन से जेईएन–2 के पद पर वापस कर दिया गया था, जिसे अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 7576/2018 द्वारा चुनौती दी कि आपेक्षित आदेश पर रोक लगाए और उपरोक्त रिट याचिका अभी भी लंबित है। अतः इस प्रकार स्पष्ट

है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को संमजित (accommodate) करने के उद्देश्य से किया गया है जो कि अनुचित एवं विधि विरूद्ध है।

3 अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में एईएन के पद पर एईएन कार्यालय (ग्रामीण), सीकर में ही कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

4 हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5 प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन एईएन के पद पर एईएन कार्यालय (ग्रामीण), सीकर में दिनांक 04.10.2022 से कार्यरत है प्रस्तुत पदस्थापन तालिका से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला सीकर में ही किया गया है। आलौच्य आदेश में भी उसे सीकर में ही पदस्थापित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के बाद आलौच्य आदेश द्वारा स्थानान्तरण किया गया है। इसमें किसी तरह की दुर्भावना या नियमों का उल्लघंन परीलक्षित नहीं हो रहा है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

6 जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

इस अपील में निजी प्रत्यर्थी को समंजित किए जाने का कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं

6 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य